UPPG010081112025

Presented on : 29-10-2025
Registered on : 30-10-2025
Decided on : 07-08-2026
Duration : 0 years, 9 months, 9 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय (एच०जे०एस०)
J.O. CODE–UP 6467
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–502/2025
राजेश आदि **बनाम** राज्य आदि

दिनांक 07.08.2026

1. पत्रावली पेश हुई पुकार करायी गयी। प्रार्थी/निगरानीकर्ता विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से 5 ख मय शपथ पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा गया कि प्रश्नगत पारित तलबी आदेश दिनांक 02.02.2024 के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को आदेश उपरोक्त की जानाकीर किसी भी प्रकार से नहीं हो पाई। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को गाँव में अफवाहन जानकारी हुई तो प्रार्थी/निगरानीकर्ता प्रतापगढ़ आकर मुकदमे का पता लगाया। मुकदमें की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता पत्रावली का मुआयाना कराया तो आदेश उपरोक्त की जानकारी हुई तो दिनांक–18.10.2025 ई.को आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो बनकर दिनांक–28.10.2025 को प्राप्त हुई तो प्रार्थी दिनांक–29.10.2025 को निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी/ निगरानीकर्ता ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है। विलम्ब उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में हुआ है। प्रार्थी धारा 5 कानून विलम्ब अधिनियम का लाभ पाना का अधिकारी है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को धारा 5 कानून विलम्ब अधिनियम का लाभ दिए जाने की कृपा की जाए।

2. इसके विपरीत विपक्षी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आपत्ति करते हुए कहा कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.08.07 16:51:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.02.2024 के विरूद्ध फौजदारी निगरानी दिनांक 29.10.2025 को विलम्ब से दाखिल की गयी है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को प्रश्नगत आदेश दिनांक–02.02.2024 की जानकारी जरिए अधिवक्ता पत्रावली का मुआयाना कराया तो आदेश उपरोक्त की जानकारी हुई। उक्त आदेश की नकल दिनांक 28.10.2026 को प्राप्त की गई। प्रश्नगत मामले को गुणदोष के आधार पर निस्तारण किये जाने के लिय उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितयों में न्यायहित में प्रार्थी/निगरानीकर्ता को धारा–5 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक विलम्ब का प्रश्न है विलम्ब की पूर्ति क्षतिपूर्ति के रूप में की जा सकती है। तद्नुसार प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 ख, धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. प्रार्थना पत्र 5 ख, धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत 1000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। फौजदारी निगरानी को दाखिल करने में जो विलम्ब हुआ है, धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुये विलम्ब क्षमा किया जाता है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता हर्जा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करें या विपक्षी को अदा करें।

2. हर्जा नियत तिथि के पूर्व तक जमा कर हर्जे की रसीद दाखिल करने के उपरान्त फौजदारी निगरानी अंगीकृत किये जाने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 11.09.2026 को पक्षकार सत्र न्यायालय उपस्थित हों। पत्रावली हर्जा अदायगी उपरान्त सत्र न्यायालय, प्रतापगढ़ के कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित हो। यदि हर्जा दिनांक–11.09.2026 के पूर्व तक जमा नहीं किया जाता है तो निगरानी मेमो पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तार हो।

दिनांक–07.08.2026 **(राम लाल–द्वितीय)**

स्टेनोः–सुनील कुमार पटेल–। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)

प्रतापगढ।

जे.ओ.कोड–UP 6467